संख्या- 77 /2022/ 425 /चार-2022

प्रेषक,

विनय श्रीवास्तव,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0,
जवाहर भवन, लखनऊ ।

संस्कृति अनुभाग: **लखनऊ: दिनांक 24 मार्च, 2022**

विषय:- आजादी का अमृत महोत्सव के अन्तर्गत दिनांक 22-23 मार्च, 2022 को आयोजित कार्यक्रमों हेतु प्रशासनिक/वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक कृपया अपने पत्र संख्या- 5244/सं0नि0-15(92)/2021-22 दिनांक 23 मार्च, 2022 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निदेशक, संस्कृति निदेशालय के प्रस्तावानुसार 'आजादी का अमृत महोत्सव' के अन्तर्गत दिनांक 22-23 मार्च, 2022 को आयोजित कार्यक्रमों के संबंध में उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव पर शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त रू0 59,27,900.00 (रूपये उनसठ लाख सत्ताइस हजार नौ सौ मात्र) की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. उपरोक्त वित्तीय स्वीकृति में अभिलेख प्रदर्शनी संबंधी प्रस्ताव में उल्लिखित पुस्तक प्रकाशन हेतु प्रस्तावित धनराशि रू0 1.25 लाख को सम्मिलित नहीं किया गया है।

4. प्रस्ताव में उल्लिखित अन्य व्यय हेतु प्रस्तावित धनराशि रू0 2.50 लाख को भी सम्मिलित नहीं किया गया है। अन्य व्यय की धनराशि के संबंध में संस्कृति निदेशालय द्वारा परीक्षण कर पुन: प्रस्ताव उपलब्ध कराया जायेगा।

5. समस्त कार्यों हेतु सत्यापन समिति का निम्नवत् गठन किया जाता है:-

(1) श्री तरूण राज, सचिव, उ0प्र0 संगीत नाटक अकादमी, लखनऊ।
(2) श्री अमित कुमार अग्निहोत्री, सहायक निदेशक, संस्कृति निदेशालय, लखनऊ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(3) श्रीमती रीनू रंगभारती, सहायक निदेशक, संस्कृति निदेशालय, लखनऊ।
(4) श्री अनिल खरे, सहायक लेखाधिकारी, संस्कृति निदेशालय, लखनऊ।

उक्त सत्यापन समिति द्वारा समस्त कार्यक्रम एवं बिल-बाउचर आदि का सत्यापन किया जायेगा।

6. उक्त वित्तीय स्वीकृति की धनराशि आहरित कर निदेशक, लोक एवं जनजाति कला एवं संस्कृति संस्थान, लखनऊ को उपलब्ध करायी जायेगी और संस्थान द्वारा सत्यापन समिति की संस्तुति पर नियमानुसार भुगतान की कार्यवाही पूर्ण की जायेगी।

7. वास्तविक व्यय के अनुसार धनराशि का भुगतान करते हुए स्वीकृत धनराशि का नियमानुसार समायोजन किया जायेगा।

8. अन्य प्रदेशों एवं स्थानीय बाजार की दरों के आधार पर मितव्ययिता के साथ व्यय सुनिश्चित किया जायेगा।

9. टेन्टेज/पंडाल आदि का भुगतान सचिवालय प्रशासन विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा निर्धारित दरों के आधार पर सुनिश्चित किया जायेगा।

10. समस्त कार्यों के फोटोग्राफ तथा वीडियोग्राफी प्रमाण के रूप में सुरक्षित रखे जाये तथा समस्त कार्यों के बिल/बाउचर की सत्यापित एक प्रति शासन को उपलब्ध कराई जायेगी।

11. उक्त स्वीकृति इस प्रतिबंध के अधीन है कि उपरोक्त स्वीकृत धनराशि आवंटित मदों पर व्यय की जायेगी, व्यय की अन्य मदों हेतु कदापि उपयोग नहीं किया जायेगा।

12. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों एवं समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा। अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा।

13. उक्त धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-92 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2205-कला एवं संस्कृति-800-अन्य व्यय-19-चौरी चौरा शताब्दी महोत्सव-42-अन्य व्यय मद से किया जायेगा।

भवदीय,
(विनय श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या 77 /2022/ 425 (1) /चार-2022, तद्दिनांक

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार, (लेखा व हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 प्रयागराज।
2- वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
4- संबंधित अधिकारीगण।
5- मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
6- वित्त (लेखा) अनुभाग-1/वित्त (ई-7) अनुभाग, उ0प्र0 शासन।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(विनय श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।